चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा/973
दिनांक : 20.01.2018

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की मुख्य परीक्षा–2018 (संस्थागत एवं व्यक्तिगत/भूतपूर्व छात्र परीक्षा/एकल विषय/श्रेणी उन्नयन) की परीक्षायें दिनांक 28 फरवरी, 2018 से प्रारम्भ होनी प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त परीक्षाओं के स्नातक स्तर पर वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष 2018 (संस्थागत एवं व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा/भूतपूर्व छात्र परीक्षा (प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष)/एकल विषय/श्रेणी उन्नयन) एवं परास्नातक स्तर पर वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित (व्यक्तिगत) पाठ्यक्रमों के प्रथम, द्वितीय वर्ष 2018 (व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा/श्रेणी उन्नयन) तथा वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत सचांलित एल0एल0बी0/एल0एल0एम0 पाठयक्रमों सहित अभ्यर्थियों के परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.ccsuweb.in** पर दिनांक 08.12.2017 से ऑन लाईन भरवाये जाना सुनिश्चित किया गया था।

छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे समस्त छात्र/छात्राऐं, जो परीक्षा फार्म भरने से वंचित रह गये हैं, उनको माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार समस्त वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्म भरने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निम्नवत् तिथियॉं पुनः विस्तारित की जाती है। इसके उपरान्त तिथि में कोई विस्तार नही किया जायेगा :–

01.	छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा फार्म वेबसाईट पर ऑन–लाईन भरने एवं ऑन–लाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	**28.01.2018**
02.	परिपूर्ण परीक्षा फार्म महाविद्यालय/संस्थान में जमा करने की अन्तिम तिथि	**29.01.2018**
03.	महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि	**31.01.2018**

नोट :– छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा फार्म भरने का अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। उक्त तिथि के उपरान्त किसी भी दशा में छात्र/छात्रा का परीक्षा फार्म भरने का अवसर प्रदान नही किया जायेगा।

1. **समस्त छात्र/छात्राओं को अपना मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) (यू0पी0 बोर्ड को छोड़कर) परीक्षा फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा सन्दर्भित परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।**
2. **प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से अनुरोध है कि परीक्षा फार्म के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र के साथ मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) (यू0पी0 बोर्ड को छोड़कर) अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुये अलग से सूची परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें एवं प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) संलग्न करने वाले छात्र से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति प्रपत्र भी देना सुनिश्चित करें।**
3. **संस्थागत स्तर पर एकल विषय परीक्षा हेतु वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने अपनी स्नातक स्तर की परीक्षा संस्थागत छात्र के रूप में विषय वर्ग (कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय) के अनुसार ही सन्दर्भित महाविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्ण की है।**
4. **कोई भी अभ्यर्थी नेट/स्लैट/एम0फिल0/पी–एच0डी0 उपाधि धारण करने के उपरान्त ही केवल दो वर्ष के अन्दर स्नातक स्तर पर किसी भी एक वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) परीक्षा हेतु केवल एक अवसर के लिये अर्ह होगा। स्नातकोत्तर (व्यक्तिगत) स्तर पर श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) परीक्षा हेतु स्नातकोत्तर उपाधि पूर्ण करने के उपरान्त केवल दो वर्ष के अन्दर ही अर्ह होगा।**
5. **व्यक्तिगत स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों/एकल विषय/श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) हेतु विश्वविद्यालय वेबसाईट पर आवश्यक नियम उपलब्ध हैं।**
6. **विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ दो वर्षों के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अर्ह नहीं होगा।**

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

01. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. व्यैक्तिक सहायक—प्रति कुलपति को, प्रति कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
03. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्व महाविद्यालय/संस्थान, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की भली—भांति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान का होगा।
04. व्यैक्तिक सहायक—कुलसचिव को, कुलसचिव जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
05. व्यैक्तिक सहायक—वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।
06. लेखाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
07. उप कुलसचिव (गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमैटी सैल/अति गोपनीय विभाग)।
08. समस्त अनुभाग प्रभारी, परीक्षा विभाग/पूछताछ केन्द्र/सूचना पट।
09. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
10. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत कम्पनी, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्मो को विश्वविद्यालय नियमानुसार ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

परीक्षा नियन्त्रक